



टी बोर्ड

14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी
कोलकाता-700 001

दिनांक : 20.05.2025

कार्यालय आदेश सं 08/2025

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि चाय बोर्ड उपनियम 1955 के उपनियम 45 और 46 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, टी बोर्ड के उपाध्यक्ष ने बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, पियरमेड से संबद्ध फैक्ट्री सलाहकार अधिकारी श्री एस. अरुणकुमार के पक्ष में निम्नलिखित वित्तीय शक्तियां इस शर्त के अधीन प्रत्यायोजित की हैं कि वे उस कार्यालय का अग्रिम लेखा बनाए रखेंगे और चाय अधिनियम, 1953, चाय नियम 1954, चाय बोर्ड उपनियम 1955 के प्रावधानों और कार्यकारी समिति/बोर्ड के अन्य निर्णय का भी पालन करेंगे:-

1	किसी एक मद (विकास कार्य के अलावा) पर 5000/- रुपये तक के व्यय को मंजूरी देना।
2	प्रत्येक मामले में 6000/- रुपये से अधिक राशि के चेक पर हस्ताक्षर करें (विकास कार्य के अलावा)
3	अग्रिम राशि 4000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए (विकास कार्य के अलावा)
4	आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड कार्यालय, पियरमेड के संबंध में किराए, नगरपालिका/जल कर प्रभार, बिजली/टेलीफोन बिलों के भुगतान हेतु सटीक राशि की सीमा तक एकल चेक पर हस्ताक्षर करें।

उपर्युक्त व्यवस्था पूर्णतः तदर्थ है और बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, पीरमाडे से संबद्ध फैक्ट्री सलाहकार अधिकारी श्री एस. अरुणकुमार के पास उक्त वित्तीय शक्तियां समाप्त हो जाएंगी जैसे ही नए स.नि.चा.वि. बोर्ड कार्यालय, पियरमेड में शामिल हो जाएंगे या कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था हो जाएगी, जो भी पहले हो।


(डॉ. ऋषिकेश राय)
सचिव (प्र)

वितरण:

1	श्री. एस अरुणकुमार, फै.स.अ, टी बोर्ड, पियरमेड	
2	कार्यपालक निदेशक, कूनूर	
3	वि.स. एवं मु.ले.अ.	
4	नि.चा.वि.	
5	ले.अ (जेएजी)/(टीसी)	
6	उपाध्यक्ष, सचिव व वि.स. एवं मु.ले.अ. के नि.सह	
7	आई.टी. कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित
8	फाइल सं 7(1)/स्था/2019/पार्ट-1।	
9	टीबीइए	
10	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियां सहित

संदर्भ सं 2(1)/स्था/2024/पार्ट-1